

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(निष्पन्न 28)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगढ जिला अलवर

किस्म मुकदमा

53, 89, 188 का

बनाम

जा/प/...

दिनांक 1/7/25

तारीख हुक्म

25.02.2025

हुक्म या कार्यवाही मर्दानिकीवस्तु जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म हुक्म की तारीख में जारी हुए

बाद पत्र वादी की ओर से अधिवक्ता रोहितारा सेनी के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 89, 188 के तहत प्रस्तुत किया गया। बाद पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ज सम्मन तामील जारी हो। पत्रावली बाद तलबी दिनांक 10.03.2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड रामगढ

10.3.25

पत्रावली आज वादी/पतिवादी के आ. पत्र पर लम्ब की गयी। वादी/पतिवादी द्वारा आ. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उस परफ में आपसी शर्जीनामा हो गया है अतः परफ को नोट-प्रेस में खारिज किया जाये। आ. पत्र स्वीकार किया जाकर उस परफ को नोट-प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फंशुमर होकर डाखिल स्टोर हो।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

वादी व नोट प्रेस

[Signature]

[Signature]

नालक-पत्र

किशन

[Signature]

[Signature]

उपखण्ड

शायी जा

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]